

परिशिष्ट- 8
प्रबन्ध अन्तरण के लिए आवेदन
(नियम 10 (vi))

निदेशक,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान

विषय:- प्रबन्ध के अन्तरण के लिए अनुज्ञा।

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरी प्रबन्ध के अन्तरण के लिए आपकी अनुज्ञा चाहने के लिए यह आवेदन निम्नलिखित विशिष्टियों के सहित प्रस्तुत करते हैं :-

क्र.सं.	विशिष्टियां	अंतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्था	संस्था को कब अंतरित किया जाना है
1	2	3	4

1. संस्था का नाम
2. पता
3. शिक्षा वर्तमान स्तर
4. प्राप्त की जा रही आवर्ती सहायता अनुदान की स्तरवार प्रतिशतता
5. संकाय और कक्षा/अनुभागवार विद्यार्थियों की संख्या
6. सम्पत्तियों का ब्यौरा (जंगम-स्थावर सम्पत्तियों का पृथक-पृथक विरण संलग्न करें)
7. महाविद्यालय भवन
(क) कक्षा कक्ष (ख) पुस्तकालय (ग) प्रयोगशालाएं (घ) खेल -मैदान
(ड) अन्य सुविधाएं
8. नगद और बैंक में अतिशेष
9. आरक्षित निधि
10. विनिधान (सूची संलग्न करें)
11. प्राध्यापकों की संख्या (संकाय/कक्षा और वेतनमान के अनुसार)
12. नई संस्था में विद्यार्थियों की शिक्षा की संभाव्यता
13. प्रस्तावित अंतरण के लिए कारण
14. प्रबन्ध द्वारा पारित संकल्प (प्रति संलग्न करें)
15. अन्य विशिष्टियां-

घोषणा

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर उल्लेखित तथ्य और विशिष्टियां हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

अंतरित की जाने वाली संस्था के सचिव
के हस्ताक्षर, तारीख

उस संस्था के अध्यक्ष/सचिव के
हस्ताक्षर जिसको अंतरित की
जानी है